मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-24.01.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./L.P.A./S.L.P) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों से लंबित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A./S.L.P मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लंबित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लंबित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2. **कृषि विभाग** में अवमानना वाद के 8 (आठ) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 35 (पैंतीस) मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमानना वाद के मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया।

3. **सहकारिता विभाग** में अवमानना वाद के 76 (छिहत्तर) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 271 (दो सौ एकहत्तर) मामले लंबित हैं। प्रधान सचिव सहकारिता विभाग द्वारा सूचना दी गई कि जिन मामलों में Performa Party हैं उनमें शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर दी जायेगी।

4. **जल संसाधन विभाग** में अवमानना वाद के 18 (अठारह) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 246 (दो सौ छियालीस) मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया।

5. **श्रम संसाधन विभाग** में अवमानना वाद के 4 (चार) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 43 (तैंतालीस) मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के लंबित मामलों में शीघ्र तथ्य विवरणी सरकारी अधिवक्ता को भेजकर प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

6. **स्वास्थ्य विभाग** में अवमानना वाद के 188 (एक सौ अठासी) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 1256 (एक हजार दो सौ छप्पन) मामले लंबित है। सभी जिलों से शीघ्र रिपोर्ट मंगाने एवं अवमानना वादों में शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को भविष्य में आयोजित होने वाली Empowered Committee की बैठक में उपस्थापित रहने का निदेश भी दिया गया है।

7. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने

कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक:-1463**/जे0, पटना, दिनांक:-**26-07-14

प्रतिलिपि:-सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-1463**/जे0, पटना, दिनांक:-**26-07-14

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।